International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

भारतीय महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति

नरेन्द्र सिंह
शोध छात्र
दर्शन शास्त्र विभाग
सीद्धो–कान्हू विश्वविद्यालय दुमका

किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास तभी संभव होगा, जब उसमें महिलाओं की बराबर भागीदारी हो। भारतीय समाज में महिलाओं की लगभग आधी आबादी है। देश की आधी आबादी को विकास की प्रक्रिया में भागीदारी मुहैया कराए बिना देश की समृद्धि, सुदृढ़ सामाजिक संरचना एवं सर्वांगीण विकास की परिकल्पना करना नितांत ही अव्यवहारिक होगी। जब चर्चा होती है महिलाओं की स्वतंत्रता की, उसके आगे आने अथवा पुरूषों से उसकी समानता की, तब हम सोचने को विवश होते है, समाज में उसकी दयनीय प्रस्थिति को लेकर।

राजाराम मोहन राय के स्त्री सुधारक आन्दोलनों से लेकर वर्त्तमान काल तक भारतीय महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन हुए हैं। अपने ही बल पर महिलाओं ने अपनी स्थिति सुधारा है और समाज में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। कभी पुरूष प्रधान समाज की चुनौतीयों का सामना करके और कभी महिलाओं द्वारा ही स्थापित की गई बाधायें पार करके, जो कि सराहनीय एवं प्रशंसनीय है, परन्तु उसकी स्थिति में जो परिर्वतन आए है क्या वे पर्याप्त है ? क्या वे परिर्वतन सकारात्मक हैं ? क्या वे परिर्वतन सामयिक हैं ?

महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में स्वतंत्रता के पचास दशक बीत जाने के बाद कोई खास फर्क नहीं आया है। महिलाओं के बारे में पुरूष प्रधान समाज में अभी तक स्पष्ट व ठोस धारणा नहीं बन पाई। हम आज भी स्त्रियों के मामले में कुंठाग्रस्त हैं। हमारी पुरानी मान्यताएं, प्रतिमान, नियम और मर्यादाएं जो पुरूषों द्वारा निर्मित हैं। महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता को बाधित करती हैं। धर्म और नैतिकता और सदाचार के नाम पर तरह–तरह के बंधनों से उसके

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

वैयक्तिक एवं सामूहिक विकास और हितों का संवर्द्धन पुरूष हितों से अलग हटकर नहीं देखा गया। परिणामस्वरूप महिला पुरूष की छाया मात्र बनकर रह गई है। सामाजिक–आर्थिक स्तर पर महिला–पुरूष के लिए नियम एवं सीमाएं अलग–अलग हैं। पुरूष जीवन और समाज में सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, और उसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। लेकिन महिला समाज में वही कर सकती है, जो पुरूष उसके लिए तय करता है।

प्राचीनकाल में विशेषकर वैदिक युग में महिला का बहुत समादार था। महिलाओं की स्थिति उसके आत्मविकास, शिक्षा, विवाह, सम्पति आदि के सम्बन्ध में विवाह का उद्देश्य महज कामवासना की पूर्ति नहीं, उससे ऊपर पत्नी के साथ मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन, धर्मानुष्ठान,यज्ञ,सम्पादन और श्रेष्ठ सन्तान की प्राप्ति ही था। आजीवन कुमारी रहने की इच्छा वाली पुत्री के पिता ही सम्पति में उत्तराधिकारी दिया गया था, विवाहिता महिलाएं अपने ''स्त्री–धन''को इच्छानुसार खर्च कर सकती थी। ज्ञानार्जन में जीवन बिताते हुए ऋषिकाएं बनने वाली कुमारियां ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। वेदकालीन सभ्यता के दूसरे चरण में द्रविड़ों की हार के साथ युद्ध क्षेत्र में पकड़ी जाने वाली लड़ाकू द्रविड़ नारियाँ आर्य परिवार में दासियों के रूप में शामिल हुई तो आर्यों ने उनके साथ विवाह किया।

स्मृतियों काल में स्त्रियों पर अनेक प्रतिबन्ध लगाए गए। महाभारत काल में महिला स्वतंत्रता की बात कही गई है।

''अनावृता हि सर्वेषां वर्णानामंगना भुवि।

यथा गावः स्थिता तात स्वस्ववर्णे तथा प्रजा।''[1]

अर्थात् पशु जगत में मादा यह निर्णय करती है किवह किस नर को प्रजनन के लिए अपने पास आने देगी। मनुष्य जगत में भी अन्तिम निर्णय नारी के ही हाथ में है। जब तक कोई स्त्री ही न हो, तब तक उसे पथभ्रष्ट नहीं किया जा सकता। (श्वेतकेतु की माँ के सन्दर्भ में उसके पिता उदा्लक का कथन) अनेक समाज वैज्ञानिकों का मतहै कि स्वेच्छाचार के स्थान पर नियमित विवाह की प्रथा

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

प्रारम्भ करने का श्रेय श्वेतकेतु कोदिया जाता है। इसी काल में मानव समाज के चरित्र–स्खलन के अनेक प्रसंग आते है, जिससे स्पष्ट होता है कि स्त्री को वस्तु के रूप में भोगने की प्रवृति थी। द्रौपदी को युधिष्ठिर द्वारा जुऐ पर दाव लगाना और भरी सभा में चीर हरण घटनाएँ इस बात की पुष्टि करती हैं। रामायण काल में राम के द्वारा सीता के सतीत्व पतिव्रता की अग्नि की परीक्षा के उपरान्त परित्याग, महिला की सामाजिक स्थिति का बयान करता है। बौद्ध काल में भी महिलाओं को पुरूष के समान दर्जा प्राप्त नहीं था। महात्मा बुद्ध ने बहुत समय बाद स्त्रियों को संघ में दीक्षित होने की अनुमति दी थी। उनका कहना था– '' नारी के प्रवेश से संघ की आयु क्षीण हो जाएगी, वह सहस्त्र वर्ष जीने के बजाय पाँच वर्ष भी नहीं जिएगा।''[2]

भारत में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारतीय समाज में अन्याय, अत्याचार एवं शोषण का दौर चला। यूनानी, शक, हूण एवं मंगोलों ने हमारी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था और वर्णाश्रम व्यवस्था की बुरी तरह से छिन्न–भिन्न कर दिया। उसी समय से देवदासी, दासीगोली, मुगल हरम और मीना बाजार जैसी कुप्रथाओं का जन्म हुआ। आम महिला स्वतंत्र प्रेम व चुनाव का अपना अधिकार खोकर मानसिक गुलामी और शारीरिक शोषण का शिकार हुई। विखण्डितसामाजिक व्यवस्था को फिर से नियमबद्ध करने का कार्य मनु और चाणक्य जैसे मनीषियों ने किया। महिला को समाज में आदर वा सम्मान दिया। ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' का सम्माननीय दर्जा मनु ने दिया। चाणक्य ने स्त्री–पुरूष दोनों को पूर्नविवाह की अनुमति दी थी। मनु ने तात्कालिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं भारतीय समाज को संगठित करने के उद्देश्य से कुछ सामाजिक विधान बनाए, कालान्तर मे यही व्यवस्थाएं महिलाओं के अहित, शोषण और अत्याचार के पर्याय बनते गए। आक्रमणकारियों से महिलाओं के सतीत्व एवं सुरक्षा की रक्षा के लिए उन्हे जन्म से लेकर मृत्यु तक पुरूष के अधीन रहने की व्यवस्था की।

''पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने।
पुत्रों रक्षति वार्धक्ये न स्त्री स्वातन्त्रयर्हति।।''[3]

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

इस समय समाज में बाल–विवाह के कारण महिलाएं शिक्षा से वंचित हो गई, जागरूकता में कमी आई। विधवा विवाह निषेध, विधवाओं की अमंगल सूचक अभिशाप स्थिति, सती प्रथा, जौहर–प्रथा एवं पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का जन्म हआ। परिणारूवरूप भारतीय समाज में पुरूष नारी के सहधर्मी, सहकर्मी एवं सहभागिता से वंचित हो गई, और महिलाएँ सामाजिक–आर्थिक एवं सहभागिता रूप से अबला, असहाय एवं पराधीन हो गई। कालिदास ने ''शकुन्तला'' में स्त्री को सम्पति माना है परन्तु उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सम्पत्ति के प्रति व्यभिचार अपराध है।''[4]

ब्रिटिश शासन काल में राज्य नियंत्रण और उचित नीति–नियमों के अभाव में वेश्यावृति का व्यवसायीकरण हआ। महिलाओं पर लगाए गए अनेक प्रतिबन्धों को लेकर समाज सुधार आन्दोलन चलाए गए। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा निषेध, 1856 में हिन्दू स्त्रियों का सम्पति पर अधिकार आदि अधिनियम बनाए गए। समाज सुधारकों ने सही दिशा में विकास के लिए राष्ट्र की एक सांस्कृतिक एवं मूल्य नीति की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका यही मानना था कि सामाजिक जागरूकता के द्वारा महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक प्रगति की जा सकती है।

स्त्री से संबंधित मिथक पश्चिमी साहित्य में भरपुर मिलता है, इससे स्पष्ट होता है कि पश्चिम में भी महिला को व्यक्ति के रूप में न देखकर महज एक गौण, नगण्य प्राणी, सेक्स का प्रतिरूप एवं पुरूष की कामना संतुष्टि के रूप में देखा गया है। प्रसिद्ध लेखक मांदेलान कहते हैं– ''श्रेष्ठ पुरूष को विवाह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि विवाह एक पूर्ण पुरूष को नपुंसक बना देता है . . . . पुरूष एक आग है, औरत उसे बुझा देती है। पुरूष पानी पर तैरता है, औरत उसकी बाँह पकड़कर अतल गहराईयों में डूबों देती है।''[5]परन्तु''वीमेन अंडर सोशलिज्म'' में आगस्ट वेवल ने लिखा है– ''सत्ता और धन –संपति के संघर्ष में पहले स्त्रियों के साथ बलात्कार करके उन्होनें पुरूषों को झुकाया, फिर पराजित पुरूषों को गुलाम बनाया गया।''[6]

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्त कराने के लिए अनेक संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थायें की गई। संविधान के अनुच्छेद–15 में लिंग के आधार पर भेद–भाव नहीं, हिन्दू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 एवं ंदहेज निरोधक अधिनियम 1961 आदि के अस्तित्व में आने पर महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा, वे कानूनी दृष्टि से उपेक्षित, असुरक्षित एवं असहाय नहीं रह गई। संवैधानिक प्रयास मात्र महिला के समग्र विकास का साधन नहीं है। विकस का साधन है महिला में चेतना और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। महिला में चेतना और विकास, जागरूकता, स्वविवेक की आत्मानुभूति की उसकी समाजिक–आर्थिक विकास का निर्णायक पहलू है। दूसरा पहलू समाजिक संरचना का वह पक्ष है जिसमें पुरूष–स्त्री के परंपरागत मानदण्डो से चिपका हआ है। स्त्री–पुरूष सम्बन्ध आपसी समझ और सम्मान पर आश्रित होने चाहिए, तभी उनकी सार्थकता है।

महिला विकास में सबसे अहम बाधा थी जागरूकता की कमी। स्वतंत्रता के समय महिला साक्षरता 8.86 प्रतिशत थी। अशिक्षा के कारण महिलाओं में आत्मविश्वास नहीं था। स्वतंत्रता के बाद महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए गए। 1991 में महिला साक्षरता 39.42 प्रतिशत हो गई। कन्याशालाओं की स्थापना, महिला शिक्षिकाओं में वृद्धि एवं ''न्यूनतम आश्यकता कार्यक्रम'' के अन्तर्गत चौदह वर्ष तक की बालिकाओं को शिक्षित करने की योजनाएँ बनाई गई। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में तिगनी वृद्धि हई। फिर भी व्यवसायिक, कृषि, चिकित्सा और अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। महिलाओं का सकल कार्य में सहभागिता दर 1971 की तुलना में 1991 में 8.5 प्रतिशत बढ़कर 22.73 प्रतिशत हुआ।

महिला के विकास में व्यतिगत तथा सामाजिक स्वतंत्रता के साथ–साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना महिला विकास असंभव है।, महिला की आर्थिक परतंत्रता के कारण ही पुरूष वर्ग ने उस पर अधिकार जमाया है। मार्क्सवादी लेखको के अनुसार– ''आर्थिक परतंत्रता ही नारी को

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

वैयक्तिक स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा कानिर्माण करती है।''[7] आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न और आत्मनिर्भर हुए बिना महिला को परिवार और समाज उचित सम्मान नहीं देगा। एक सामान्य महिला घरेलू पारिवारिक उद्योग–धंन्धों, कृषि कार्यों में अनुमानतः 10 से 16 घंटे कार्य करती है, परन्तु दुर्भाग्य है कि उसके इन घरेलू कार्यों का आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया जाता। विभिन्न असंगठित क्षेत्रों में लगभग 94 प्रतिशत महिलाएं कार्य करती है। इन सबके बावजूद वह आर्थिक रूप से कमजोर है और अपने पालन,पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि के लिए पुरूष पर आश्रित है।

महिलाओं का आर्थिक कार्यों में योगदान बढ़ाने, कार्यशील, उपयोगी और उत्पादक व्यक्ति के रूप में राष्ट्र की आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शासकीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आर्थिक उपार्जन के लिए महिलाओं का प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश, परम्परागत तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए महिलाओं का आसान शर्तो पर ऋण एवं सुविधाओं की उपलब्धता एक शुभ संकेत है। और औद्योगीकरण के कारण समाज में गतिशीलता आई है। उत्पादन एवं उपभोग की प्रकृति में बदलाव आने से व्यक्ति की आर्थिक एवं सामाजिक वैचारिकी, व्यवहार एवं सामाजिक प्रतिमानों के नए समीकरण बनने लगे। महिला घर की चाहरदीवारी लाँघकर आत्मविश्वास के साथ प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों के साथ बराबरी कर रही है। जब कि पुरूष अतिकुण्ठा से ग्रस्त हो अमानवीय बनता जा रहा है। सती प्रथा को महिमामंडित करने के मूल में नारी उत्पीड़न व उसके हक को छीनने और आर्थिक स्तर पर कौटम्बिक भागीदारी से महिला को अलग करने का सुनियोजित षड्यंत्र है। (सन्दर्भ देवराला कांड व अन्य)

दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय की दो सौ लड़कियों का अध्ययन किया। आयेग ने पाया 91.7 प्रतिशत कैम्पस में होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकार थीं। गुड़गाँव के औद्योगिक आयोग क्षेत्र डूण्डाहेड़ा में कामकाजी लड़कीयों के साथ बलात्कार एवं फिल्म बनाने एवं कानपुर हैलट अस्पताल स्थित शव विच्छेदन गृहमें अकाल मृत्यु की शिकार महिलाओं के शवों के साथ बलात्कार की

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

शर्मनाक घटनाएँ[9] सोचने को विवश करती हैं कि हम मानवीय समाज में जी रहे या दानवीं। महिला चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र की हो या शहरी, वह चाहे संभ्रान्त वर्ग की हो या दलित, वह चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, उत्पीड़न दैहिक शोषण, अन्याय एवं अत्याचार जैसे अमानवीय दृष्कत्यों की समानता ही उसे आधुनिक समाज ने दिया है। आधुनिक कहे जाने वाले समाज में ही तंदूर कांड, सरला मिश्रा हत्याकांड, रूपन दयाल कांड, कौमार्य परीक्षण, जलगांव यौनकांड, भंवीबाई कांड, महिला पार्षदों के साथ पुरूष पार्षदों द्वारा सामूहिक दुष्कृत्य (नारनौल), बेटी की आबरू बचाने के बदले माँ को बहशियों के सुपुर्द करना (गाजियाबाद), पिछड़ी जाति की महिलाओं को निर्वस्त्र गाँव में घुमाना बलात्कार की घटनाएँ पुरूष प्रधान समाज की बर्बरता का परिचय देती है।

ग्रामीण क्षेत्र की महिला ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी हैं। परिवार की केन्द्रीय ईकाई के रूप में पारिवारिक उत्तरदायित्वों के साथ–साथ घर के बाहर पुरूष के साथ कृषि कार्य, पशुपालन, परंपरागत उद्योग एवं अन्य कार्यें में सहभागी के रूप में कार्य करती हैं। लेकिन उसके कार्यों का पुरूष ने कभी मूल्यांकन नहीं किया यद्यपि वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी है एक उत्पादक इकाई है, फिर भी उसका स्वतंत्र, सामाजिक–आर्थिक अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया। समान कार्य के बदले असमान मजदूरी, अन्याय और विपदा से वह पीड़ित हैं। सामान्य बोल चाल में माँ–बहिन की गाली और तिरिया चरित्र का लांछन उसकी नियति बन चुकी है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में अशिक्षा एवं अज्ञानता बहुत ज्यादा है उसे पौष्टिक भोज्य पदार्थ नहीं मिल पाता। सामाजिक कुरीतियां और अंधविश्वासों के कारण वह मातृत्व को झेलती रहती है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। बेटे और बेटियों में असमानता को वह रोक नहीं पा रही है, जागरूकता के अभाव में उपेक्षा, अन्याय एवं शोषण कर विरोध नहीं कर पाती है।

अब मूल प्रश्न यह उठता है कि महिलाओं की समाजिक–आार्थिक बदहाल स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है? क्या पुरूष वर्ग को दोषी ठहराकर हम अन्य परिस्थितियों को नजरअन्दाज कर सकते हैं और समस्या का समाधान हो जाएगा।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

क्या कारण है कि भारतीय समाज की मजबूत सामाजिक संरचना का ढ़ांचा विघटित हो रहा है। औद्योगिक सभ्यता एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से समाज में लम्बे समय से चली आ रही पारंपरिक मान्यताओं, आदर्शों एवं नैतिकता के स्थापित मूल्य टूटने लगे। शिक्षा, प्रशिक्षण, वैधानिक समानता और औद्योगिक विस्तार में रोजगार के नए अवसर समाज में महिलाओं की प्रस्थिति में बुनियादी परिर्वतन लाए। पश्चिमी प्रभाव और आधुनिकता के साथ भारतीय परंपराओं के वैचारिक द्वन्द से सांस्कृतिक विलम्बना की स्थिति निर्मित हुई। महिलायें आधुनिक समाज के दबाव से गुजर रही है, उनमें आत्मविश्वास, बौद्धिकता, वैयक्तिक स्वतंत्रता, पुरानी मान्यताओं का खण्डन, अजनबीपन आदि दृष्टीकोण विकसित हुए। उसकी अपनी आस्था, आकांक्षा है जिसकी वह पूर्ति करना चाहती है इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो उनमें असंतोष जन्म लेता है, और विद्रोह की भूमिका निर्मित होती है। व्यक्तियों का निर्माण सामाजिक लोक रीतियों व लोक नीतियों के अनुसार होता है। रीति–नीति का मूल्य अब टूट रहे है। डॉ. धनंजय वर्मा के अनुसार ‘‘हर दौर में संक्रांतिकालीन मिजाज या प्रश्नधर्मी संक्रांति के प्रति सचेता केवल मूल्यों के प्रति संपूर्ण मोही नहीं के बाद रूकी है, उसने एक मूल्य विकल्प भी ढूंढ़ा है और पूराने मूल्यों से मोह भंग के बाद मूल्यान्वेषण की प्रक्रिया भी शुरू है जिससे नए मूल भी आए है।’’[10]

वर्त्तमान में समाज में चरित्रिकएवं सांसस्कृतिक संकट आ गया है। आर्थिक क्षेत्र में खुला बाजार संस्कृति में हमारी किशोरियों एवं युवतियों को शारीरिक सौन्दर्य, प्रसाधन और परिधानों की दुनिया में प्रवेश करा दिया। आधुनिकता की इस सौगात में फिल्मों, धारावहिकों, विज्ञापनों, सौन्दर्य प्रतियोगताओं एवं सार्वजनिक समारोह में महिला जिस प्रकार अपने शरीर का प्रदर्शन करती है या प्रदर्शनकराने के लिए व्यग्र है, उससे तो यही लगता है कि वह बाकई वस्तु रूप में बदल चुकी है। अब उपभोक्तावाद में खुले समाज में ‘‘ ब्यूटीफुल लेग्ज’’, ‘‘ब्युटीफुल हेयर’’ और ‘‘ब्यूटीफुल आइज’8 नाम से महिला के अंग–अंग पर भी कान्टेस्ट प्रारम्भ करा दिए है। इसे हम भ्रमवश भले ही खुलापन (ग्लास नोट) कहें, किन्तु यह मार्ग निर्लज्जता से शुरू होकर असचिजता तक ले जाएगा। महिलाएं पद, पेशा और सम्मान के मोह

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

पाश में आकर पूँजीपतियों के चंगुल में फँसती गई परिणमतः अबोध बालिकाएँ और सम्पन्न गृहणियाँ सेक्स स्कैंडलों में फसती जा रही है। डॉ. सुरेन्द्र जैन के अनुसार ''देहतंग सफलता का यह दौर धन के सहारे या बल के सहारे दैहिक शोषण का आधार बिन्दु बनता जा रहा है। मानवीय संवेदनायें जड़वत हो गई, लेकिन आज नारियों को अपने नारीत्व पर जैसे गर्व ही नहीं रहा। पहले तो मनुष्य उसे भोग की वस्तु समझता था, अब उसने स्वंय को भी वस्तु बना डाला।

सिनेमा सामाजिक बदलाव का अचूक अस्त्र कहा जाता है। सिनेमा से अशिक्षा, अज्ञानता और सामाजिक उत्थान की कई आशायें थी, पूर्व में ऐसा लगा कि यह आपने उद्देश्य पर सफल होगा। परन्तु सिनेमा में पूँजीवाद, औद्योगिक समाज की यांत्रिकता के बल पर मानवीय संवेदना को खो दिया, वह अपने नैतिक व सामाजिक उत्तरदायित्व से भटक गया, वहाँ भी चारित्रिक संकट की समस्या बन गई। सिनेमा ने नारी जीवन और स्वभाव का एकदम अस्वाभाविक और अतिरंजित रूप प्रस्तुत कर यौन उत्श्रृंखला,अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टावार वाले सामाजिक विकार को विस्तारित किया। साहित्य समाज का दर्पण है, के मायने अब विपरीत हो गए। घटिया व कुंठा साहित्य जीवन से शोभा और सौन्दर्य तथा शक्ति और विश्वास को बहिष्कृत कर यौन क्रांति की झूठी आधुनिकताओढ़ कर व प्रदर्शित कर मानसिक दासता और विलासिता को बढ़ावा दे रहा है। निम्न–मध्यम .वर्ग और मध्यम वर्गीय महिला में आर्थिक पिपासा की बेतहाशा ललक बढ़ती जा रही है, परिणामस्वरूप वे अस्वस्थ मनोरंजन हेतु प्रस्तुत हो रही हैं। उच्च वर्ग में आर्थिक समपन्नता से जड़ी महिला चेंज के लिए ताश, किटी, शराब, यौन–सखी बदलने ओर दुकानों में चोरी करने जैसा समाज व्याधिकीय कार्यों से जुड़ती जा रही है।

औद्योगीकरण एवं पश्चिमी प्रभाव ने परिवार और विवाह संस्था को सर्वाधिक प्रभावित किया है परिवार समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, शिक्षा और सरक्षा की बीमा का केन्द्र बिन्दु है। व्यक्तिगत विकास, स्वतंत्रता एवं खुलापन के नाम पर पारिवारिक विघटन हो रहा है। हम पारिवारिक सहजीवन की अमूल्य धरोहर को खोकर, तलाक, असुरक्षा, भय, तनाव, मानसिक विकतियां, आत्महत्या, अपहरण और

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

बलात्कार जैसी विघटनकारी दुष्प्रवृतियों के शिकार होते जा रहे है। आत्मनिर्भर और उच्च शिरक्षा प्राप्त महिला का अहं परिवार की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। विवाह जन्म–जन्मांतरों का एक अटूट पवित्र बंधन है। विवाह संस्था प्रेम की अनुभूति आत्मिक, व अलौकिक मान्यता पर आधारित थी, परन्तु आधुनिक सन्दर्भ में प्रेम, विवाह पूर्व से आ गया और प्रेम को भौतिक, परिर्वतनशील व जीवन की सहायक वस्तु के रूप में स्वीकार किया गया है। यह सत्य है कि बालविवाह की परंपराने बेटी को ब्याह देने की वस्तु समझा, उसके स्वतंत्र अस्तित्व को नहीं। परंपरायें अकारण शुरू नहीं होता हैं किन्त अकारण अवश्य चलती रहती हैं। हमारे समाज में एक ओर पर्दे पर महिला अपनी अस्मिता बेचती है तो दूसरी ओर बच्ची के स्त्री बनने से पूर्व ही उसकी अस्मिता की रक्षा के नाम पर उस बालक के हाथ में दे देती है, जो अपनी रक्षा की बागडोर नहीं संभाल पाता। विवाह के साथ ‘‘कन्यादान’’ की धारणा कन्या को वस्तु रूप में मानकर दान कर देती है।

इन सब के बावजूद महिलाओं की प्रगति एवं उनके नये क्षेत्रों में प्रवेश करने की उपलब्धियों की एक अहम भागीदारी है। प्राचीन भारतीय समाज में गार्गी, मैत्रयी और अनसुईया के जमाने से लेकर विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गाँधी, सरोजनी नायडू, अमृत कौर, नजमा हेफतुल्ला जैसी राजनैतिक के शिखर पर पहूँचने वाली महिलायें नारी शक्ति की प्रेरणा स्रोत है। आकाशी बुलंदी को छुने वाली कैप्टन दुर्गा बनर्जी, विश्व के सर्वोच्च शिखर पर पहूँचने वाली बछेन्द्री पाल, इंग्लिश चैनल पार करने वाली तैराक आरती साहा, उड़नपरी पी. टी. उषा, न्याय के सिंहासन को सुशोभित करने वाली श्रीमती अन्ना चंडी , आई. पी. एस. अधिकारी किरण बेदी, एशियाई खेल में स्वर्ण विजेता कमल संधु आदि ने अपने–अपने क्षेत्र में सफलता अर्जित करने वाली प्रथम भारतीय महिला होने के गौरव को हासिल किया। बसंत कुमारी, मुमताज कथवाले, पार्वती आर्य, शीला दवरे क्रमशः बस, रेल, ट्रक, एवं ऑटोरिक्साचालक बनकर अपनी प्रतिभा,कर्मठता ओर दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देकर एकाधिकार को तोड़कर समाज के सामने महिला विकास का आदर्श प्रस्तुत किया।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

महिलाओं की समाजिक–आर्थिक विकास स्थिति में आमूल–चूल परिर्वतन लाने के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसके लिए सन् 1975 का वर्ष ''अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष''' के रूप में मनाया गया और 1985 तक महिला उत्थान के विशेष कार्यक्रमों के लिए ''अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक'' मनाया गया। 1995 में पेइचिंग में चौथे विश्व महिला सममेलन में ''समता, विकास और शांति'' पर महिलाओं के संदभं में विचार–विर्मश हुआ। 15 फरवरी 97 को नई दिल्ली में राजनीतिक में पुरूष और महिलाओंकी साझेदारी पर ''अंर्तसंसदीय सम्मेलन'' आयोजित किया गया और महिला हितों की रक्षा के लिए ''अन्तराष्ट्रीय परिषद्'' का गठन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को पंचायतों में 35 प्रतिशत आरक्षण देकर उनके आत्म विश्वास राजनैतिक चेतनाओं व नेतृत्व का अवसर दिया गया, जिससे महिलाओं में जागरूकता आ सके और वे विकास की दिशा में आने वालीचुनौतियों का डट कर मुकाबला कर सकें।

उपरोक्त तथ्यों की विवेचना में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि महिलाओं की संवृद्धि, संरक्षण, विकास तथा कल्याण हेतु उनकी शैक्षिक, आर्थिक प्रगति ही गतिशील कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि महिला की साक्षरता में वृद्धि की जाए। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा समाप्त करने के कानूनी संरक्षण के साथ–साथ सामाजिक चेतना जागृत की जाए। विवाह, तलाक, गोद लेने तथा मातृकालीन लाभों के बारे में कानूनी अधिकारों की जानकारी प्रदान कर, महिलाओं के मानव अधिकार सुनिशचित करना और सम्पति में भागीदारी तथा समानता का अधिकार प्राप्त करने की दिशा में समाज का रचनात्मक योगदान प्राप्त किया जाय। बालिकाओंके प्रति भेद–भाव तथा दुर्यव्यवहार समाप्त करने के लिए स्वंय महिलाओं को आगे आना होगा। अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति जागरूकता लाने के लिए महिलाओं को राजनीति में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में '' उत्क्रम'' की स्थिति से बचने के लिए स्त्री–पुरूष आपसी समझ और सम्मान से भावुकता को आत्मनियंत्रिता करें। उपभोक्तावादी संस्कृति, भोगवाद एवं देह प्रदर्शन

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

को आधुनिकता समझ लेने की भूल को सुधारना होगा। आर्थिक क्षेत्र में रोजगार, प्रशिक्षणएवं संसाधन उपलबध कराकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इन सबके बावजूद सबसे अधिक जिम्मेदारी महिलाओं पर ही है। अपने–अपने स्तर पर सभी मातायें लड़के–लड़की के बीच भेद–भाव कम करे, हर महिला एक दूसरी पिछड़ी महिला को सामाजिक रूप से जागरूक एवं शिक्षित करें और प्रतिद्वंद्विता में आकर नारी ही नारी का दुश्मन न बने, तो आगे चलकर समस्या का समाधान मिल सकता है क्योंकि सदियों से कुंठित महिला रूढ़िग्रस्त हो गई है, उसके अन्तर्मन में जब तक महिला के प्रति प्रगतिशील धारणा नहीं बनती तब तक महिला की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना नहीं होगी।

संदर्भिका

(1)महाभारत 1 , 122, 14.

(2)नारी शोषण, आईने और आयाम, पृष्ठ 9 श्रीमति आशारानी बोरा।

(3)मनु स्मृति उद्धत, सामाजिक विचारकों का इतिहास डॉ डी. एस. बघेल।

(4)शकुन्तला, पृष्ठ 4 कालिदास।

(5) कादंबिनीवर्ष 37 अंक 2 दिसम्बर 1996 पृष्ठ 591

(6) श्रीमति आशारानी व्योहरा वही, पृष्ठ 193 ।

(7) नागार्जुन के नारी पात्र, 77 प्रा. अर्जून घरत।

(8) दैनिक भास्करभोपाल 17 मार्च 1997 21 जनवरी 1997.

(9) तथैव

(10) मोहन राकेश का नारी संसार पृष्ठ 224 डॉ. श्रीमती मीना पिपंलापुरी।

;11द्ध दैनिक भास्कर भोपाल 17 मार्च 97,21 जनवरी 97.

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

अन्य सन्दर्भ ग्रन्थ

;1द्धसामाजिक और संस्कृति – पंडित राजाराम शास्त्री।

;2द्धभारतीय समाज, संस्कृति और संस्थायें– कैलाशनाथ शर्मा शास्त्री।

;3द्धसंत काव्य में नारी – डॉ. कृष्ण गोस्वामी।

;4द्धआधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन – एम. एन. श्रीनिवासन।

;5द्धयोजना , कुरूक्षेत्र आदि का पत्रिकायें।